P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

जननी सुरक्षा योजना राजस्थान के परिपेक्ष्य में

साधना भंडारी
सह आचार्य,
लोक प्रशासन विभाग,
राजकीय डूँगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बीकानेर, राजस्थान, भारत

अलका पुरोहित
शोध–छात्रा,
लोक प्रशासन विभाग,
राजकीय डूँगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बीकानेर, राजस्थान, भारत

सारांश

एक सशक्त समाज का निर्माण करने के लिए महिलाओं को सशक्त व स्वस्थ बनाना जरूरी है। क्योंकि किसी भी देश का भविष्य एक नारी की सशक्त भूमिका पर निर्भर करता है। इसलिए भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जननी सुरक्षा योजना प्रायोजित की गई जिसका प्रारम्भ 2005 में किया गया जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी को निःशुल्क परिवहन सुविधा व चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती है। इस योजना को सर्वप्रथम less performing states में लागू किया गया जिसमें से राजस्थान एक है। जननी सुरक्षा योजना का उद्धेश्य मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर कमी लाना रहा है। साथ ही साथ संस्थागत प्रसव को बढावा देना भी इसका यह उदेश्य रहा हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक प्रयास है। ''सांझी कोशिश–खुशहाल मातृत्व'' किन्तु क्या यह योजना प्रभावी रूप से बेहतर प्रबन्धन कर पा रही है? इसी परिपेक्ष्य में यह शोध–पत्र अवलोकनीय है।

मुख्य शब्द : स्वास्थ्य सेवा, प्रसव, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आशा सहयोगिनी।

प्रस्तावना

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मत्रालंय द्वारा जननी सुरक्षा योजना प्रायोजित की गई इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सस्थांगत प्रसव कराने के लिए बढावा देना तथा आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जननी सुरक्षा योजना जननी व शिशु स्वास्थ्य की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों , उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने के लिए पंजीकृत लाभार्थी को 1400/– रूपये की आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। नगरीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने के लिए पंजीकृत लाभार्थी को 1000/– रूपये की आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। सुरक्षित व संस्थागत प्रसव का बढावा देने का उद्देश्य से यह योजना सचांलित की गई तथा इसका बेहतर सचालंन करने में आशा सहयोगिनी नामक कार्यकर्ता का एक विशेष महत्व है। क्योंकि वह सरकार व लाभार्थी के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस योजना का प्रभावी प्रबन्धन इसकी ही सशक्त भूमिका पर निर्भर करता हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न प्रयासों मे से एक जननी सुरक्षा योजना की भूमिका की विवेचना ही शोध–पत्र का उद्देश्य है।

अध्ययन की आवश्यकता, उद्देश्य व महत्व

भारत सरकार के स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जननी सुरक्षा योजना प्रायोजित की गई जननी सुरक्षा योजना की शुरूआत गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही गई इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्रदान करना रहा हैं तथा संस्थागत प्रसव को बढावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके योजना के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी को चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

आशा सहयोगिनी द्वारा गर्भवती महिलाओं को उनके पंजीकरण करवाने में मदद की जाती हैं। तथा प्रसव से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध करवायी जाती है। ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य केन्द्रो की प्रबन्धन व्यवस्था तथा मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्युदर में होने वाली कमी से ही जननी सुरक्षा योजना की भूमिका को समझना आसान होगा प्रस्तुत शोध की सार्थकता, इसकी आवश्यकता तथा इसका महत्व उपयुक्त परिपेक्ष्य में स्पष्ट हैं।

अनुसंधान प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध की प्रकृति विवरणात्मक व विश्लेषात्मक है। जननी सुरक्षा योजना के प्रभावी प्रबन्धन व क्रियान्वयन को जानने के लिए शोध सरंचना के विवरणात्मक प्रकार को अपनाया गया है। तथा तथ्यात्मक व वास्तविकता को समझने के लिए यादृच्छिक नमूना विधि को आधार बनाया गया है। जिसमें समग्र के रूप में राजस्थान के बीकानेर जिले का चयन किया गया हैं।

तथ्यों का संकलन

प्रस्तुत शोध को वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने के उद्देश्य से तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोंतो से सूचनाओ व तथ्यो का सकंलन किया जायेगा प्राथमिक स्त्रोतः प्राथमिक स्त्रोतों से सूचनाये प्राप्त करने के लिए प्राथमिक विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया इन सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए शोध कर्ता द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों से संबद्ध प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संम्पर्क स्थापित किया गया। द्वितीयक स्त्रोतः शोध अध्ययन के सैद्धान्तिक एवम् ऐतिहासिक पक्ष का विवेचन करने के लिए द्वितीयक स्त्रोतो से सूचनाएं एकत्रित की गई।

इसी क्रम में केन्द्रं व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, समाचार पत्रों , विषय से सम्बन्धित पुस्तकों में उपलब्ध अध्ययन सामग्री का उपयोग किया गया।

जननी सुरक्षा योजना की भूमिका के प्रभावी ना होने के कारण

स्वास्थ्य केन्द्रो में प्रशासनिक अव्यवस्था एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी के कारण प्रायः गर्भवती महिलाओं को शहरी चिकित्सालय में रेफर कर दिया जाता है। जिस कारण उनको कंई समस्याओं से गुजरना पड़ता है।

आशा सहयोगिनी द्वारा प्रसव के पश्चात् दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में अभी भी कमियां है।

जननी सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण व मूल्यांकन के लिए ग्रीवन्स रिड्रेसल सेल केवल प्रतीकात्मक रूप में कार्य करता है।

शहरी क्षेत्रों में भी कच्ची बस्ती व झुग्गी में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को जननी सुरक्षा योजना के बारे में पूर्ण जानकारी का अभी भी अभाव है।

आशा सहयोगिनी को मिलने वाली मानदेय राशि का कम होना एक प्रमुख कारण रहा हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञानता, अशिक्षा, सामाजिक मान्यताओं व रूढ़ी वादी परम्पराओं के कारण संस्थागत प्रसव स्वीकार नहीं किया जाता है। चिकित्सा संस्थानों में आधार भूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है। इसके साथ ही योजना के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों के उचित सचांलन हेतु विभागों में आपसी तालमेल व समन्वय का अभाव होना एक प्रमुख समस्या रही है। इन कारणों से ही जननी सुरक्षा योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वित नही हो पा रही है।

सुझाव

चिकित्सकों व नर्सिग स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिये आशा सहयोगिनीयों के रिक्त पदों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम सभाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर भरे जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर संस्थागत प्रसव हेतू परिवहन सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जटिल व रात्रि कालीन प्रसव के दौरान प्रसूताओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम व आशा सहयोगिनी को देय मानदेय की राशि हेतु पर्याप्त बजट की व्यवस्था हो ।

आशा सहयोगिनी को देय मानदेय की राशि में वृद्धि की जाये तथा समय पर भुगतान कराने की व्यवस्था भी की जाये।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत् सचांलित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है। महिला व बाल विकास विभाग व चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में आपसी तालमेल व समन्वय होना चाहिए। ताकि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक उज्जवल बनाया जा सके और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्रदान किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

आशा रानी, व्होरा, ''बैबी हैल्थ'' प्रकाशन पुस्तक महल, नई दिल्ली, वर्ष 1999

आप्टे प्रभा (2004), भारतीय समाज में नारी, क्लासिकल पब्लिकेशन्स जयपुर।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर 2015।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (2005) आशा सदंर्भ पुस्तिका पुस्तक संख्या एक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान जयपुर।

मेठी, एस.एन (स) सहयोगिनियो का दस दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर वार्षिक रिपोर्ट 2015।

डी.पाल, बाल स्वास्थ्य का विकास, प्रकाशन आशा राय, कश्मीरी घाट, नई दिल्ली वर्ष 1995

तिवारी आर.पी. एवं शुक्ला डी.पी. (1999), भारतीय नारीः वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली।

योगेश कुमार सिंघल, भारत में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2000, धारणा, पृ. 23–33।